O.I.H.

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 108
TO BE ANSWERED ON 16/12/2022

IMPLEMENTATION OF PM-KISAN YOJANA IN RAJASTHAN

*108. SHRI GHANSHYAM TIWARI

Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) the details of schemes launched by Government for the welfare of farmers during the last three years;

(b) whether it is a fact that funds under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) yojana are being deposited directly into the account of the farmers; and

(c) if so, the details of funds transferred to the farmers of the State of Rajasthan under this yojana during the last three years, district-wise?

ANSWER

MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(SHRI NARENDRA SINGH TOMAR)

(a) to (c): A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT IN RESPECT PARTS (a) to (c) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 108 DATED 16.12.2022 REGARDING "IMPLEMENTATION OF PM-KISAN YOJANA IN RAJASTHAN".

(a): Department of Agriculture & Farmers Welfare (DA&FW), Government of India is committed to the welfare of farmers in the country and it is implementing many schemes for farmers' welfare. The details of the schemes/programms launched by the DA&FW during the last three years are given in **Annexure-I**.

(b): Yes Sir. Funds under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) yojana are deposited directly into the account of the farmers through Direct Benefit Transfer (DBT).

(c): The Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana (PM-KISAN) aims at providing financial assistance to landholding farmer families across the country to enable them to fulfill the expenses/needs related to agriculture. Under the Scheme, an amount of Rs. 6000/- per year is transferred in three 4-monthly installments of Rs.2000/-. District-wise details of fund transferred to the farmers of Rajasthan so far under PM-KISAN are at **Annexure –II.**

Annexure-I

Schemes/Programms launched by Department of Agriculture & Farmers Welfare during last three years

S.No.	Name of the scheme/Programms
1	Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana (PM-KISAN)
2	Pradhan Kisan Mantri Maan Dhan Yojana (PM-KMY)
3	Agriculture Infrastructure Fund (AIF)
4	National Beekeeping & Honey Mission (NBHM)
5	Formation and promotion of 10,000 FPOs
6	National Mission on Edible Oils – Oil Palm (NMEO-OP)
7	National Mission on Natural Farming
8	Minimum Support Price (MSP)

Annexure –II

District-wise details of funds transferred to the farmers of Rajasthan so far under PM-KISAN

Name of the district	**No. of Beneficiaries**	**Amount (Rs Crores)**
AJMER	2,88,395	529.14
ALWAR	4,24,533	753.41
BANSWARA	2,10,450	402.48
BARAN	2,06,933	405.29
BARMER	4,10,064	749.49
BHARATPUR	2,78,737	542.93
BHILWARA	3,69,257	746.8
BIKANER	1,80,622	319.43
BUNDI	1,75,562	349.59
CHITTORGARH	2,37,826	462.47
CHURU	2,57,949	499.71
DAUSA	2,03,839	379.58
DHOLPUR	1,45,461	271.8
DUNGARPUR	2,25,631	365.61
GANGANAGAR	1,56,632	300.11
HANUMANGARH	2,15,510	421.98
JAIPUR	4,49,969	822.61
JAISALMER	72,356	116.17
JALORE	2,93,978	479.37
JHALAWAR	2,64,369	545.64
JHUNJHUNU	2,31,079	444.89
JODHPUR	3,54,086	642.11
KARAULI	1,44,549	268.78
KOTA	1,93,820	342.31
NAGAUR	4,14,259	762.21
PALI	2,86,367	470.05
PRATAPGARH	1,17,799	197.78
RAJSAMAND	1,52,562	275.27
SAWAI MADHOPUR	1,64,565	330.76
SIKAR	2,68,665	512.55
SIROHI	87,457	157.12
TONK	2,66,705	512.31
UDAIPUR	2,67,183	469.07
Total	**80,17,169**	**14848.77**

****

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 108

16 दिसंबर, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: राजस्थान में प्रधानमंत्री-किसान योजना का क्रियान्वयन

***108. श्री घनश्याम तिवाड़ी:**

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा किसानों के कल्याण हेतु प्रारंभ की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के अंतर्गत राशि सीधे ही किसानों के खातों में जमा करायी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के किसानों को हस्तान्तरित की गई राशि का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

<u>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)</u>

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"राजस्थान में पीएम-किसान योजना का क्रियान्वयन" के संदर्भ में 16 दिसंबर, 2022 को राज्य सभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. 108 के भाग (क) से (ग) के संबंध में उल्लिखित विवरण

(क) कृषि और किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार देश में किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और यह किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाओं/कार्यक्रम को लागू कर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभाग द्‌वारा शुरू की गई योजनाओं का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) जी हाँ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत धनराशि सीधे किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से जमा की जाती है।

(ग) प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) का उद्देश्य देश भर में भूमि धारक किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे कृषि से संबंधित खर्चों / जरूरतों को पूरा कर सकें। इस योजना के तहत 2000/- रुपये की तीन 4-मासिक किश्तों में 6000/-रुपये/प्रति वर्ष अंतरित किए जाते हैं। पीएम-किसान योजना के तहत अब तक राजस्थान के किसानों को अंतरित की गई धनराशि का जिलेवार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

अनुबंध-I

विगत तीन वर्षों के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई योजनाएं/कार्यक्रम

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम
1	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान)
2	प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
3	कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ)
4	राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
5	10,000 एफपीओ का गठन और संवर्धन
6	राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी)
7	प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन
8	न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

अनुबंध –II

पीएम-किसान के तहत अब तक राजस्थान के किसानों को अंतरित की गई राशि का जिला-वार विवरण

जिले का नाम	लाभार्थियों की संख्या	राशि (रुपये करोड़)
अजमेर	2,88,395	529.14
अलवर	4,24,533	753.41
बांसवाड़ा	2,10,450	402.48
बरन	2,06,933	405.29
बाड़मेर	4,10,064	749.49
भरतपुर	2,78,737	542.93
भीलवाड़ा	3,69,257	746.8
बीकानेर	1,80,622	319.43
बूंदी	1,75,562	349.59
चित्तौड़गढ़	2,37,826	462.47
चुरू	2,57,949	499.71
दौसा	2,03,839	379.58
धौलपुर	1,45,461	271.8
डूंगरपुर	2,25,631	365.61
गंगानगर	1,56,632	300.11
हनुमानगढ़	2,15,510	421.98
जयपुर	4,49,969	822.61
जैसलमेर	72,356	116.17
जालौर	2,93,978	479.37
झालावाड़	2,64,369	545.64
झुंझुनू	2,31,079	444.89
जोधपुर	3,54,086	642.11
करौली	1,44,549	268.78
कोटा	1,93,820	342.31
नागौर	4,14,259	762.21
पाली	2,86,367	470.05
प्रतापगढ़	1,17,799	197.78
राजसमंद	1,52,562	275.27
सवाईमाधोपुर	1,64,565	330.76
सीकर	2,68,665	512.55
सिरोही	87,457	157.12
टोंक	2,66,705	512.31
उदयपुर	2,67,183	469.07
योग	**80,17,169**	**14848.77**

******

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय उपसभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने 'प्रधान मंत्री सम्मान निधि' में राजस्थान को 14,848.77 करोड़ रुपया दिया है। सर, मेरा प्रश्न यह है कि पिछले आठ वर्षों में कृषि के बजट में सरकार ने कितनी बढ़ोतरी की है, पीएम-किसान योजना में किसानों को अब तक कितनी राशि मुहैया कराई गई है और एफपीओ से किसानों को किस प्रकार लाभ होगा? यह मेरा पहला प्रश्न है।

श्री कैलाश चौधरी : माननीय महोदय, हम सब जानते हैं कि देश में किसानों की आबादी लगभग 70 प्रतिशत है। जहाँ तक बजट की बात है, तो वर्ष 2013 में जो कृषि का बजट था, वह लगभग 23,000 करोड़ के आस-पास था, लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि कृषि का इस वर्ष का जो बजट है, वह 1,32,000 करोड़ से भी अधिक है। उसमें से लगभग आधे से अधिक, जो लगभग 65,000 करोड़ रुपये हैं, वे किसान सम्मान निधि के तौर पर किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट पहुँचते हैं। किसान सम्मान निधि का पैसा लगभग 11.50 करोड़ किसानों को गया है। इस प्रकार, कुल मिलाकर 2,24,000 करोड़ रुपये देश के किसानों के अकाउंट्स में किसान सम्मान निधि के माध्यम से पहुँचे हैं।

महोदय, मैं दूसरी बात यह बताना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधान मंत्री ने किसानों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए किसान सम्मान निधि के तौर पर बजट को बढ़ाया। किसान खेत में तो जीत जाता था, वहाँ वह अपनी फसल को पैदा कर लेता था, लेकिन जब वह मार्केट में जाता था, तो वहाँ जाते-जाते वह हार जाता था। इसलिए इस चीज़ पर विचार किया गया कि मार्केट में उसकी फसल की अधिक वैल्यू कैसे मिले, उसको अधिक रेट कैसे मिले। इसको लेकर आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने एक स्कीम, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइज़ेशन प्रारंभ की, जिसको हम एफपीओ के नाम से जानते हैं। इस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइज़ेशन के माध्यम से आज देश भर में लगभग 10,000 एफपीओज़ बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंदर लगभग सभी एलोकेट हो गए हैं। उनमें से 4,031 एफपीओज़ का रजिस्ट्रेशन देश भर में हो चुका है। इन्हीं एफपीओज़ के माध्यम से किसान अपने आपको मार्केट से डायरेक्ट लिंक कर पाएगा और अपनी लागत में भी कमी कर पाएगा, क्योंकि एफपीओ कम्पनी एक्ट में भी बन रहा है और कोऑपरेटिव एक्ट में भी है। कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर 300 से अधिक किसानों का एक समूह बनेगा। जब उन छोटे-छोटे किसानों का समूह बनेगा, तो उनमें बार्गेनिंग क्षमता भी बढ़ेगी और जब वे एक साथ परचेज़ करेंगे, तो उनकी लागत में भी कमी आएगी तथा टेक्नोलॉजी का भी उपयोग होगा।

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी, आप संक्षिप्त जवाब दें।

श्री कैलाश चौधरी : इसके लिए एक सीबीओ का गठन किया गया है, जो उनको मार्केट से लिंक करवाएगा। मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूँ कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। आज पूरे देश के अंदर किसानों में एफपीओ के प्रति जागरूकता बढ़ी है, उसके प्रति उनका विश्वास भी जगा है और

वे उसके प्रति आकर्षित भी हैं। इस प्रकार, आने वाले समय में एफपीओ के माध्यम से किसान को टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, वह बिज़नेस भी कर पाएगा और वह खुद की सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग की यूनिट भी लगा पाएगा।

श्री उपसभापति : जो माननीय सदस्य सवाल पूछ रहे हैं, उनसे और माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि अगर वे दोनों अपनी बात संक्षिप्त रखें, तो बाकी लोगों को भी मौका मिलेगा। तिवाड़ी जी, आप सेकंड सप्लिमेंटरी पूछिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सर, जिस प्रकार माला में मनकों की संख्या 108 होती है, उसी तरह इस क्वेश्चन का नम्बर भी 108 है, इसीलिए मैंने यह प्रश्न पूछा है। ...**(व्यवधान)**...

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि पीएम-किसान योजना में किसान बड़ी संख्या में 'स्वयं' पोर्टल पर पंजीकरण कराते हैं। राजस्थान में ऐसे कितने किसानों की स्वीकृति अभी राज्य सरकार के स्तर पर पेंडिंग है तथा इसके क्या कारण हैं?

श्री कैलाश चौधरी : माननीय उपसभापति महोदय, किसान सम्मान निधि का पैसा डायरेक्ट किसान के अकाउंट में जाता है और इसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है। राज्य सरकारें किसानों के नाम और उनके अकाउंट्स भारत सरकार के पास भेजती हैं, जिसके बाद किसानों के अकाउंट्स में पैसा पहुँचता है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ 80 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है। राजस्थान में जिन किसानों ने 'स्वयं' पोर्टल पर अपने नाम दर्ज करवाए थे, उनकी संख्या लगभग 15 लाख थी, जिनमें से 8 लाख, 65 हज़ार किसानों को मंजूरी मिल गई है। उनमें से दो लाख किसान ऐसे थे, जो इनकम टैक्स पेयी थे या इसके पात्र नहीं थे, जिसके कारण उनको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन अभी तक ऐसे 4 लाख, 25 हज़ार किसान हैं, जिनके नाम पोर्टल पर हैं और वे पेंडिंग हैं। उसके लिए हमने राज्य सरकार को बता दिया है कि राज्य सरकार उनको तुरंत प्रभाव से वेरिफाई करे। अगर वे उस पोर्टल पर चढ़ाएंगे, तो किसानों तक 'किसान सम्मान निधि' का पैसा पहुंच जाएगा। ये राज्य सरकार के पास पेंडेंसी में हैं। निश्चित रूप से जैसे ही वे नाम हमारे पास आएंगे, वैसे ही हम उन सभी किसानों को दो हज़ार रुपये की किस्त रिलीज़ करना प्रारम्भ कर देंगे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : उपसभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 के मुताबिक कुल किसानों की संख्या 14 करोड़, 50 लाख है, किन्तु पीएम किसान निधि की राशि केवल 10 करोड़, 45 लाख लोगों को ही 11वीं किस्त के रूप में दी गई, यानी 4 करोड़ कम लोगों को दी गई? महोदय, 10 करोड़, 45 लाख किसानों को 11वीं किस्त दी गई। 12वीं किस्त उसमें से कम होकर केवल 8 करोड़, 42 लाख किसानों को ही मिली है, यानी 2 करोड़ लोग और घट गए। यह 4 करोड़ लोगों को कम क्यों दी जा रही थी और 11वीं और 12वीं

किस्त में 2 करोड़ किसान और क्यों कम हो गए? क्या सरकार का लक्ष्य किसानों को फायदा देना है या पीएम किसान निधि को धीरे-धीरे खत्म करना है?

श्री कैलाश चौधरी : माननीय उपसभापति महोदय, प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने यह महत्वपूर्ण स्कीम प्रारम्भ की। यह स्कीम पहली बार प्रारम्भ हुई। प्रधान मंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले। यह इसी उद्देश्य से प्रारम्भ की गई। आपने देखा होगा कि लगातार आंकड़े भी बढ़े और प्रारम्भ में सभी किसानों को किसान सम्मान निधि देना प्रारम्भ किया गया, क्योंकि उस समय हमे डेटा लेना था, एक साथ एक स्कीम को प्रारम्भ करना था, लेकिन गाइडलाइंस के अनुसार कुछ ऐसे किसान थे जो इनकम टैक्स पेयी हैं, कोई बड़े अधिकारी हैं या कोई राजनीतिक क्षेत्र में बड़े पद पर हैं, तो ऐसे किसान जो अपात्र थे, उन अपात्र किसानों के नाम को कम करने का काम किया, जिसकी वजह से कुछ नाम कम हुए। अभी किसानों के लिए एक पोर्टल ओपन है, वह पोर्टल हमेशा ओपन रहता है। राज्य सरकार अगर किसी भी पात्र किसान का नाम लिखकर भारत सरकार को भेजती है तो हमारी यह मानसिकता है कि किसान को वह पैसा मिले, इसके लिए भारत सरकार के द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार को निर्देशित किया जाता है या उनके साथ मीटिंग भी करते हैं कि इस पोर्टल पर अधिक से अधिक पात्र किसानों के नाम चढ़ाए जाएं, जिससे कि अधिक किसानों को लाभ मिले। इस दिशा में काम किया जा रहा है।

SHRI RANDEEP SINGH SURJEWALA: Sir, the Minister is not answering, 6 करोड़ किसान कैसे कम हो गए?...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... कृपया आपस में बात न करें। Please address the Chair. ...*(Interruptions)*...

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, मंत्री जी प्वाइंटेड सवाल का प्वाइंटेड जबाव दें।

श्री कैलाश चौधरी : सर, राज्य सरकार जिन किसानों के नाम भेजेगी, उनको हम निश्चित रूप से किसान सम्मान निधि का पैसा देंगे। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : माननीय सुरजेवाला जी, आपने अपना सवाल पूछ लिया है। ...(**व्यवधान**)... माननीय राजेन्द्र गहलोत जी।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय उपसभापति महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की सूची में बाजरा, धान आदि रखा गया है। राजस्थान सरकार बाजरा उगाने वाले किसानों को लाभ न देने के कारण उनसे बाजरा नहीं खरीद रही है।

श्री उपसभापति : माननीय सदस्य, आप सवाल पूछें।

श्री राजेन्द्र गहलोत : मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे बाजरे की खरीद करने के लिए राजस्थान सरकार पर दबाव डालें।

श्री कैलाश चौधरी : माननीय उपसभापति महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है। एमएसपी को लागत से डेढ़ गुना करने का निर्णय माननीय प्रधान मंत्री जी ने लिया है, उसके बाद से एमएसपी के अंदर लगातार खरीद में वृद्धि हो रही है। मुझे यह बात ज़रूर कहनी है कि बाजरे के उत्पादन में राजस्थान देश के अंदर अग्रणी प्रदेशों के अंदर आता है। अधिकतर किसान वहां बाजरे का उत्पादन करते हैं, लेकिन राजस्थान के किसानों के बाजरे के लिए एमएसपी के ऊपर जो खरीद होनी चाहिए, उसके लिए राजस्थान सरकार की ओर से भारत सरकार के पास कोई प्रपोज़ल नहीं आया है। अगर राज्य सरकार तुरंत प्रभाव से प्रपोज़ल भेजेगी तो भारत सरकार भी निश्चित रूप से बाजरा खरीदने के लिए तैयार है। अगर वे पीडीएस के अंदर देना चाहेंगे तो निश्चित रूप से भारत सरकार तैयार है, लेकिन यह राज्य सरकार के ऊपर है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri S Niranjan Reddy. The question relates to PM Kisan Yojana in Rajasthan.

SHRI S NIRANJAN REDDY: Sir, the only question, which would also cover Rajasthan, is that the 2020 Standing Committee Report on Chemicals and Fertilizers suggested that a switchover be made to direct subsidy to farmers instead of indirect subsidy on fertilizers. The question I wanted to ask the hon. Minister is, does the Government intend to move in that direction?

श्री कैलाश चौधरी : उपसभापति महोदय, यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज सब्सिडी के तौर पर चाहे खाद में यूरिया या डीएपी के अंदर जितना परचेज़ करते हैं, आज यूरिया के एक बैग का रेट लगभग 2,200 या 1,700 के आस-पास है, लेकिन वही बैग किसानों को 600 और 700 रुपये के अंदर दिया जा रहा है। 3,500 रुपये के आस-पास डीएपी की खरीद है, लेकिन वही डीएपी का कट्टा किसान को 1,350 रुपये में दिया जा रहा है। लगभग दोगुने से अधिक या जिसमें भारत सरकार सब्सिडी के तौर पर पैसा देती है, उसकी वजह से किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। कुछ समय पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रेट बढ़ गए थे। हालांकि इम्पोर्ट करना पड़ता है, इसके बावजूद किसानों के ऊपर भार नहीं आने दिया गया, इसी वजह से भारत सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी के तौर पर लाभ दिया जा रहा है।

श्री उपसभापति : थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 109. श्री मोहम्मद नदीमुल हक।